

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग जिला नरसिंहपुर म.प्र.

प्ररूप - क  
(नियम 4 देखिए)

क. 1743  
01अ/82/19-20

नरसिंहपुर, दिनांक 29/6/2019

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत/नगर पालिका के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन कराना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

01	परियोजना विकासक का नाम	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जबलपुर
02	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	जबलपुर इटारसी सेक्सन रेल खंड रेलवे लेबिल कासिंग कमांक 258 गाडरवारा चीचली मार्ग पर रेल ओवर ब्रिज निर्माण कार्य हेतु भू अर्जन।
03	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण	01. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, गाडरवारा 02. उप संचालक, सामाजिक न्याय व निःशक्तता 03. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, साईंखेडा 04. वार्ड पार्षद राजेन्द्र बाबूवार्ड एवं गांधी वार्ड नगर पालिका गाडरवारा 05. हल्का पटवारी ग्राम इमलिया
04	भूमि का विवरण	
(क)	जिला	नरसिंहपुर
(ख)	तहसील	गाडरवारा
(ग)	ग्राम/नगर	इमलिया
(घ)	कुल प्रभावित क्षेत्र	निजी भूमि 1.240 हे0
(ङ)	अर्जित होने वाला क्षेत्र	कुल रकबा 0745. (खसरावार सूची पृथक से संलग्न है)
05	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	जबलपुर इटारसी सेक्सन रेल खंड रेलवे लेबिल कासिंग कमांक 258 गाडरवारा चीचली मार्ग पर रेल ओवर ब्रिज निर्माण कार्य हेतु भू अर्जन।
06	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	परियोजना क्षेत्र 1.240 हे0 एवं प्रभावित क्षेत्र 0.745 हे0
07	क्या ग्राम सभाओं और/या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है	नहीं
08	सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख	अधिसूचना प्रकाशन के छः माह के भीतर

Received  
25/7/19

अनुविभागीय अधिकारी  
(राजस्व) गाडरवारा

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव  
मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग  
जिला नरसिंहपुर म.प्र.



Scanned with  
CamScanner